ओबीसी कोटे में कोटा पर

उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर भाजपा पिछड़ा आयोग की सिफारिश को आधार बनाकर कर सकती है ध्रुवीकरण

भाषा सिंह

देश में घुमंतू जनजातियों, विमुक्त जातियों, डी-नोटिफाइड जातियों को आरक्षण देने, उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर पेश करने की कोशिश धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ जुड़ गया है ओबीसी कोटे में अति पिछड़े वर्गों जिनमें धोबी, तेली, चरवाहों आदि को अलग से कोटा देने का सवाल। इस कार्ड को खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का बड़ा चेहरा देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान गहरे संकेत लिए हुए है कि ओबीसी कोटे के भीतर कोटे की गुंजाइश है। इस तबके के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह संकेत है कि अगर इस कोटे के भीतर कोटे की मांग जमीन से तेजी से उठती है, तभी वह राजनीतिक फैसला ले पाने की स्थिति में होंगे। यानी, अब एक बार फिर इस आरक्षण की जमीन उत्तर प्रदेश बन सकती है।

विमुक्त और घुमंतू 666 जातियों और अत्यधिक पिछड़ी 540 जातियों को ओबीसी कोटे में अलग से कोटा देने की मांग नई नहीं है। लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी, जिसे कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पलने दिया। समय-समय पर इस मांग को हवा दी गई। एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस मांग पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। विमुक्त-घुमंतुओं के लिए आयोग बनाने का फैसला किया। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2011 में हुई जनगणना में इन्हें अलग से शामिल किया गया। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में इन्हें अलग से आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अलग से इस मुद्दे पर काम करने को कहा गया। इस आयोग ने अपनी अहम रिपोर्ट पिछले साल मार्च में केंद्र सरकार को सौंप दी। इस आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों (जिसकी प्रति *आउटलुक* के पास है) पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसकी सिफारिशें देश भर में ओबीसी की राजनीति में खलबली लाने का माद्दा रखती हैं। इससे कई राज्यों की राजनीति में खासतौर से ओबीसी राजनीति पर टिके उत्तर भारत के राज्यों में बड़े उलट-फेर हो सकते हैं। आइए पहले नजर डालते हैं, इस आयोग की सिफारिशों पर।

आयोग ने केंद्र सरकार को 2015 में अपनी रिपोर्ट अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण को लेकर सौंपी है। इस रिपोर्ट को आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. ईश्वरय्या के नेतृत्व में ही तैयार किया गया है। इसमें ओबीसी आरक्षण को तीन उपवर्गों में बांटने की सिफारिश की गई है।

1. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ग्रुप अ)- इसमें विमुक्त, घुमंतू, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों जो शामिल करने की बात कही गई है। इस उपवर्ग में उन समुदायों को भी शामिल किया गया हैं जो भीख मांगने, सूअर पालन, सपेरा, चिड़ीमार, नट, शिकारी, ताड़ के पत्ते से चटाई-टोकरी बनाने वाले, बांस का काम करने वाले, ड्रम बजाने

राजनीतिक गूंज: **विमुक्त जनजाति के लिए संघर्षरत हरि भाऊ राठौड़ (बीच में)**

जोखिम भरा कार्ड

वाले,फकीर, कृषि मजदूर का काम करते हैं।

2. अति पिछड़ा वर्ग (ग्रुप ब)-इसमें बारबलुतेदार यानी नाई, खटिक, वाणी, लुहार, सुतार, सुनार, दर्जी, धोबी, तेली, माली, कोली, गोवारी, धनगड़, जूट का काम करने वाले, डाई का काम करने वाले, भेड़ चराने वाले, दलित जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और वही पेशा कर रहे हैं आदि।

3. पिछड़ा वर्ग (ग्रुप क)-केंद्रीय सूची में बाकी रह गए सब। आयोग के चेयरमैन जस्टिस वी.ईश्वरय्या ने *आउटलुक* को बताया कि उनकी सिफारिशें कानून सम्मत हैं और सरकार को इन्हें लागू करने में कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। तमाम वंचित समूह को सही प्रतिनिधित्व देना आज बेहद जरूरी है। पिछड़े वर्ग आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर अब इन समूहों ने ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर पिछले दो दशक से अलग-अलग स्तर पर सक्रिय राष्ट्रीय विमुक्त-घुमंतू और अति पिछड़ा संगठन के हरिभाऊ राठोड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। उन्होंने *आउटलुक* को बताया, 'भाजपा नेतृत्व इन सिफारिशों पर संवेदनशील नजर आ रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है इसलिए इसे तमाम वंचित जाति-समूहों की तरफ से उठाने की जरूरत है। यह दांव अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में चलती है तो उसे बहुत फायदा होगा, वह मुलायम सिंह के ओबीसी गढ़ में सेंध लगा पाएगी। इन सभी वर्गों की आबादी देश में 40 करोड़ है और अभी तक इन्हें न्याय दिलाने के लिए बड़ा राजनीतिक कदम नहीं उठाया जा पाया है।' राठौड़ का कहना है, 'उत्तर प्रदेश से भाजपा के करीब 10 सांसद इसी समुदाय से हैं, जिनमें साध्वी निरंजन ज्योति, उमा भारती, मुकेश राजपूत, साक्षी महाराज, नेपाल सिंह, धर्मेंद्र कश्यप, राजबीर सिंह, हरिनारायण राजभर आदि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने को आतुर हो सकते हैं।' उधर, उत्तर प्रदेश में सक्रिय राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संजय निषाद का कहना है कि वह अपनी जाति के लिए अलग से जगह चाहते हैं। उनका दावा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के निजी सचिवों से बात हो चुकी है। भाजपा को वह बता चुके हैं कि अगर पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीतना है तो निषाद समाज की मांग माननी होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विचित्र स्थिति की ओर भी ध्यान दिलाया कि वहां ओबीसी में केवट, मल्लाह, लोध, बिंद, कश्यप, धीमर और धीवर, कहार हैं। अनुसूचित में भी मघवार, खरवार, खरोट, बेलदार, गोड, तुरेहा और कोल सूचित हैं और 13 जून, 2013 तक विमुक्त जनजाति की श्रेणी में केवट, लोध और मल्लाह, धीमर, कहार शामिल थे। बाद में मुलायम सिंह ने इसे खत्म कर दिया। सारे असंतोष को भाजपा अपने चुनावी फायदे में समेटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष एसपी सिंह बघेल ने *आउटलुक* को बताया, 'ओबीसी कोटे में कोटा पर गंभीरता से विचार चल रहा है। जिस तरह भाजपा ने बिहार में नीतीश सरकार के साथ मिलकर दलित में महादलित और पिछड़ा में अति पिछड़ा किया था, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए क्योंकि अंत्योदय नहीं हो रहा है।' एसपी बघेल जो बसपा के राज्यसभा सांसद थे और इस्तीफा देकर भाजपा में आए और ओबीसी का मोर्चा संभाल रहे हैं। उनका मानना है कि ओबीसी कोटे में कोटा भाजपा को बढ़त दिलाने में कामयाब रहेगा क्योंकि पिछड़ों का दुश्मन और कोई नहीं मजबूत पिछड़े (यादव, कुर्मी) ही हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोटे के भीतर कोटा का दांव खेलकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गरमा दिया जल्द ही इस पर बड़ी पहल की उम्मीद।

उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निषाद, राजभर, बघेल आदि जाति समूह की तेज गतिविधियों को देखा जाए तो इसे बड़े राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। जस्टिस वी.ईश्वरय्या सहित डीएनटी और अति पिछड़े समुदाय के नेताओं को इस बात पर आस है कि राजनीतिक लाभ के लिए ही सही अगर इस समुदाय को लाभ मिल जाए तो उनकी नाव केवट के भरोसे किनारे लगे।

पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जस्टिस वी.ईश्वरय्या का मानना है कि उनकी सिफारिशों को मानने के लिए जमीन और राजनीति तैयार हैं।